

**देवघर समाहरणालय**  
(जिला भू अर्जन शाखा)  
-: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या 563...../भू अ०

दिनांक-21.08.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- नोनीहाट- बासुकीनाथ- केराबानी-पालोजोरी- बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु ग्राम-कड़राशाल, थाना-सारठ, थाना संख्या-373, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के कुल-0.03 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.03 एकड़ है और जो ग्राम-कड़राशाल, थाना-सारठ, थाना संख्या-373, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18	392	रैयती	बाड़ी-2	0.01	देवीलाल राउत पे० कालेश्वर राउत वो मानीक राउत पे०-स्व० जगदम राउत वो श्याम सुन्दर राउत वो श्रीकान्त राउत वो सुनिल राउत पिता जयनाथ राउत।	दाग नं०-391	रास्ता,	दाग नं०-393	दाग नं०-391
2	3	393	रैयती	बाड़ी-1	0.02	दिलिप राउत वो राजेश राउत पे०-स्व० गौनर राउत वो बिनोद राउत वो अरुण राउत पिता-फुलेश्वर राउत वो बिरेन्द्र राउत वो सोहन राउत पिता-तेजा राउत।				
कुल रकवा-					0.03					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम 30-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्राम .....X ..... थाना .....X ..... थाना संख्या .....X ..... अंचल .....X ..... जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी .....X ..... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

16/8/17  
जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
Devesh  
16/8/17 देवघर

18-18-2017  
देवघर समाहरणालय  
देवघर

18/8/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त  
देवघर।

ज्ञापांक 563 / भू अ0, देवघर, दिनांक 21.08.2017 501

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

16/8/17  
जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
16/8/17

18-08-2017  
सपर उपर  
देवघर

18/8/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त  
देवघर।